

प्रार्थी	वनाम	विप्रार्थीगण
1. पकज कुमार पुत्र शकरलाल जाति माहेश्वरी निवासी साता तहसील सेडवा जिला बाडमेर		1. सुखदान पुत्र जवारदान 2. स्वरूपकंवर पत्नि दानादान 3. रितुकंवर पत्नि बाबुदान 4. ईश्वरदान पुत्र चालकदान 5. कवरबाई पत्नि चालकदान 6. नारायणदान पुत्र दानादान 7. प्रविणदान पुत्र दानादान जाति चारण निवासी रंगवाली साता तहसील सेडवा जिला बाडमेर 8. तहसीलदार सेडवा उप पजीयक सेडवा
334		
किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मुकदमा 334/2023		
हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज		नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

17.10.2023

प्रार्थी पंकज कुमार पुत्र शकरलाल जाति माहेश्वरी निवासी साता तहसील सेडवा जिला बाडमेर की ओर से अधिवक्ता श्री आम्वाराम पूनड़ ने वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया है, जो दर्ज किया जाकर दर्ज रजिस्टर हो। स्थगन प्रार्थना पत्र के साथ पटवार मण्डल साता के राजस्व ग्राम रंगवाली की जमाबन्दी वर्ष 2022 के खसरा संख्या 279/25 रकबा 1.6511 हैक्टर, खसरा संख्या 34 रकबा 0.0647 हैक्टर प्रस्तुत की है। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया है।

स्थगन प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी के वकील की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता की बहस एवं सलंगन दस्तावेजों के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के हक में कयास होता है, अतः जरिये अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा विप्रार्थीगण को आगामी पेशी तारीख तक इस कदर पाबंद किया जाता है कि वो तहसील सेडवा के पटवार मण्डल साता के राजस्व ग्राम रंगवाली की जमाबन्दी वर्ष 2022 के खसरा संख्या 279/25 रकबा 1.6511 हैक्टर, खसरा संख्या 34 रकबा 0.0647 हैक्टर भूमि से प्रार्थी को जबरन बेदखल नहीं करें व न ही प्रार्थी के कब्जे-काश्त में दखलन्दाजी स्वयं करे अथवा न अन्य किसी के मार्फत करवाये तथा न ही उक्त भूमि का बेचान या अन्य किसी प्रकार का हस्तान्तरण करें व मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। विप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस दिवस 7 दिन में रजि.एडी सहित न्यायालय हाजा में आवश्यक रूप से प्रस्तुत किया जावे। स्थगन अहकॉम तहसीलदार सेडवा को जारी हो। तलबी विप्रार्थीगण जरिये रजिस्टर एडी. नोटिस की जाकर पत्रावली दिनांक...8/12/23..... को पेश हो।


सहायक कलेक्टर
सेडवा

8/12/23

पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी दीगज कार्यों में व्यस्त है, मिसल इल्तबा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आइन्दा दिनांक 28/02/24 को पेश हो।

28/2/24

पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी दीगज कार्यों में व्यस्त है, मिसल इल्तबा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आइन्दा दिनांक 15/5/24 को पेश हो।

15/05/24

पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी दीगज कार्यों में व्यस्त है, मिसल इल्तबा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आइन्दा दिनांक 30/02/24 को पेश हो।



30/07/24

पत्रावली पेश हुई। प्राची वकील अपा। विद्यार्थीगण के सम्माने तामिल। आत्म तामिल अक्षत इन्तजार होकर पत्रावली ठाडि-टा किंदा श्रावथ को पेश हो।

27/9/24

पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी विगल कार्यों में व्यस्त है, मिसल इस्तबा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 25/11/24 को पेश हो।

25/11/24

पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी दिगल कार्यों में व्यस्त है, मिसल इस्तबा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 30/12/24 को पेश हो।

30/12/24

पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी दिगल कार्यों में व्यस्त है, मिसल इस्तबा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 27/02/25 को पेश हो।

12/02/25

पत्रावली पेश हुई। प्राची वकील एवं प्राची स्वयं उप.। श्री मूलवाद के जरिये शचीनामा विडू उद दिया गया इसलिये इस आवेदन के आगे चलाने का ठेक मौसिल्य नहीं है। इस आवेदन की अर्थवाही इसी कतर पट समाप्त की जाती है। पत्रावली फेरल वुमार बेकर दाखिल कतर है। मूलवाद के लेलज हो।

दिनांक 12/02/25

पत्रावली प्राची वकील

पत्रावली प्राची वकील
पत्रावली प्राची वकील
पत्रावली प्राची वकील

पत्रावली प्राची वकील
पत्रावली प्राची वकील
पत्रावली प्राची वकील